भारत सरकार

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 762

दिनांक 07 फरवरी, 2025 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

स्नातक/स्नातकोत्तर चिकित्सा सीटों में वृद्धि

762. श्री कीर्ति आज़ाद:

क्या **स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में प्रतिवर्ष स्नातक (यूजी) और स्नातकोत्तर (पीजी) चिकित्सा सीटों के लिए कुल कितने अभ्यर्थी आवेदन करते हैं;
(ख) वर्तमान में देश भर में स्नातक और स्नातकोत्तर चिकित्सा सीटों की संख्या कितनी है;
(ग) क्या सरकार की मांग और उपलब्धता के बीच भारी अंतर को पाटने के लिए स्नातक और स्नातकोत्तर स्तर की चिकित्सा सीटों की संख्या में वृद्धि करने की कोई योजना है;
(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में निर्धारित समय-सीमा और लक्ष्य सहित सीटों की संख्या कितनी बढ़ाए जाने का प्रस्ताव है; और
(ङ) क्या सरकार की "देश में चिकित्सा शिक्षा की गुणवत्ता' नामक प्रतिवेदन में की गई सिफारिश के अनुसार जिला अथवा रेफरल अस्पतालों से संबद्ध नए चिकित्सा महाविद्यालयों की स्थापना करने की कोई योजना है?

उत्तर

स्वास्थ्य और परिवार मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्रीमती अनुप्रिया पटेल)

(क) से (ङ): जैसा कि राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी द्वारा सूचित किया गया है, नीट (स्नातक) और नीट (स्नातकोतर) परीक्षा 2024 के लिए पंजीकृत छात्रों की कुल संख्या क्रमशः 24,06,079 और 2,28,540 है।

सरकार ने देश में एमबीबीएस और पीजी सीटों की संख्या बढ़ा दी है। राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, देश में एमबीबीएस की कुल 1,18,190 सीटें और पीजी की 74,306 सीटें हैं।

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय मौजूदा जिला/रेफरल अस्पतालों से संबद्ध नए मेडिकल कॉलेजों की स्थापना के लिए एक केंद्रीय प्रायोजित योजना (सीएसएस) का संचालन करता है, जिसमें अल्पसेवित क्षेत्रों और आकांक्षी जिलों को वरीयता दी जाती है, जहां कोई सरकारी या निजी मेडिकल कॉलेज मौजूद नहीं है। केन्द्र और राज्य सरकारों के बीच निधीयन साझाकरण तंत्र पूर्वोत्तर और विशेष श्रेणी के राज्यों के लिए 90:10 के अनुपात में और अन्य के लिए 60:40 के अनुपात में है। इस योजना के तहत सभी परिकल्पित 157 सरकारी मेडिकल कॉलेजों को पहले ही अनुमोदित किया जा चुका है, जिनमें से 131 कार्यशील हैं।

इसके अतिरिक्त, सीएसएस के तहत, 83 कॉलेजों में 4977 एमबीबीएस सीटें बढ़ाने, चरण-I में 72 कॉलेजों में 4058 पीजी सीटें और चरण-II में 65 कॉलेजों में पीजी की 4000 सीटें बढ़ाने के लिए मौजूदा राज्य सरकार/केन्द्र सरकार के मेडिकल कॉलेजों के सुदृढ़ीकरण/उन्नयन हेतु एमबीबीएस (यूजी) और पीजी सीटों की संख्या को बढ़ाने के लिए सहायता प्रदान की गई है।

******